

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

CS
नमो
नमो
18/1

आज CM SC/ST योजना की समीक्षा की गई। जितने लोगों का प्रशिक्षण हुआ है उसके एक तिहाई को भी पहला किस्त release नहीं किया गया है। जबकि यह स्पष्ट निदेश दिया गया था कि प्रशिक्षण समाप्त होने के अंतिम दिन अथवा उसके पूर्व ही पहली किस्त release हो जाना चाहिए।

स्पष्टतः आपके पदाधिकारियों द्वारा इसमें कोई रूचि नहीं ली गई जिसका नतीजा यह है कि कार्य की प्रगति धीमी है। अतः इस योजना से जुड़े निम्नलिखित पदाधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक रोका जाता है, साथ ही आपको निदेश दिया जाता है कि इनसे कारण पूछा पूछकर अधोहस्ताक्षरी को अपने मंतव्य के साथ एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाए :-

- 1) श्री बलराम सिंह, संयुक्त निदेशक
- 2) श्री रविभूषण प्रसाद सिन्हा, संयुक्त निदेशक
- 3) श्री बी०एन० प्रसाद, संयुक्त निदेशक
- 4) श्री आर०के० ठाकुर, संयुक्त निदेशक
- 5) श्री आर०के० उपाध्याय, उप उद्योग निदेशक
- 6) श्री विशेश्वर प्रसाद, उप उद्योग निदेशक
- 7) श्री के०के० राय, उप उद्योग निदेशक
- 8) श्री नवल किशोर, सहायक निदेशक
- 9) श्री महाकान्त मण्डल, सहायक निदेशक
- 10) श्री रवि शंकर उपाध्याय, उद्योग विस्तार पदा०
- 11) श्री महेन्द्र प्रसाद, उद्योग विस्तार पदा०
- 12) श्री विनोद कुमार, उद्योग विस्तार पदा०

ह०/-

(के०के० पाठक)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

निदेशक, तकनीकी विकास

ज्ञापांक -

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि - अवर सचिव (श्री अनिल कुमार झा), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री देवीश्री
अ
18/1/19

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापानक:- 431

पटना, दिनांक:- 18.01.19

3(स०)/उ०स्था०(आरोप)03/19

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/1/19
सरकार के अवर सचिव